अनुलग्नक-3 ... "२व"

(47)

संख्या 684 / 79-5-2009-50 / 08

प्रेषक,

अनूप चन्द्र पाण्डेय
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक (बेसिक)
उ0प्र0 लखनऊ।

शिक्षा अनुभाग-5

लखनऊ : दिनांक : 24 फरवरी, 2009

विषय- वेतन समिति 2008 के चतुर्थ प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार उ0 प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक / उच्च प्राथमिक विद्यालयों तथा बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों को पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति, उत्तर प्रदेश (2008) के प्रथम प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार विभिन्न विभागों के राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों (यू0जी0सी0, ए0आई0सी0टी0ई0 तथा आई0सी0ए0आर0 के वेतनमानों से आच्छादित पदों को छोड़कर) एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को दिनांक 01 जनवरी, 2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन की स्वीकृति शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-1315 / दस-59(एम) / 2008, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 के माध्यम से तथा उक्त शासनादेश द्वारा निर्धारित वेतन बैण्ड तथा ग्रेड वेतन में वेतन निर्धारण की व्यवस्था शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-1318 / दस-59(एम) / 2008, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 द्वारा की गयी थी।

2 वेतन समिति, उत्तर प्रदेश (2008) के चतुर्थ प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के क्रम में निर्गत शासकीय संकल्प संख्या-वे0आ0-2-225 / दस-2009-54(एन) / 2008टी.सी., दिनांक 02 फरवरी, 2009 के अनुसार राज्य के शिक्षा विभाग तथा अन्य विभागों के राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के साधारण वेतनमान, चयन वेतनमान एवं पदोन्नति वेतनमान के शिक्षकों को केन्द्र सरकार के शैक्षिक पदों के समान क्रमशः ग्रेड-।।।, ग्रेड-।। एवं ग्रेड-। की श्रेणियों में वर्गीकृत करते हुए उच्चीकृत वेतनमान के सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन दिनांक 01 जनवरी, 2006 से प्रकल्पित आधार पर स्वीकृत करते हुए वास्तविक लाभ/नकद भुगतान दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 से अनुमन्य किया जायेगा।

3 अतः सम्यक विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय बेसिक शिक्षा विभाग के उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों तथा बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों के शिक्षकों के लिए संलग्न तालिका के स्तम्भ-3 में

उल्लिखित वर्तमान वेतनमानों को स्तम्भ-4 में उल्लिखित ग्रेड/वेतनमानों के सादृश्य स्तम्भ-5 में उल्लिखित वेतन बैण्ड तथा स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्रेड वेतन ऐसे पदधारक, जो दिनांक 31-12-2008 को सेवा में थे अथवा उसके पश्चात सेवा में आये हों, को अनुमन्य किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

4 उक्तानुसार उच्चीकृत वेतनमानों के सादृश्य वेतन बैण्ड तथा ग्रेड वेतन में सम्बन्धित पदधारक का वेतन काल्पनिक रूप से शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-1318/दस-59(एम)/2008, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 की व्यवस्थानुसार निर्धारित करते हुए वास्तविक लाभ/नकद भुगतान दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 से दिया जायेगा।

5 साधारण वेतनमान के शिक्षक को ग्रेड-III (उदाहरण स्वरूप प्राथमिक शिक्षक के साधारण वेतनमान के शिक्षक को प्राथमिक शिक्षक ग्रेड-III) तथा समयमान वेतनमान की व्यवस्था के अन्तर्गत चयन वेतनमान प्राप्त शिक्षक को ग्रेड-II एवं पदोन्नति वेतनमान प्राप्त शिक्षक को ग्रेड-I पदनाम दिया जायेगा। चयन वेतनमान अथवा पदोन्नति वेतनमान स्वीकृत होने की दशा में सम्बन्धित शिक्षक को वर्तमान में मिल रहे बैण्ड वेतन (वेतन बैण्ड में वेतन) के साथ चयन वेतनमान/पदोन्नति वेतनमान के सादृश्य ग्रेड वेतन अनुमन्य कराते हुए वेतन निर्धारित किया जायेगा।

6 यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-वे0आ0-2-204/दस-2009, दिनांक 21 फरवरी, 2009 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

<u>संलग्नक-यथोक्त।</u>

भवदीय

(अनूप चन्द्र पाण्डेय)
सचिव।

<u>संख्या 684(1)/79-5-09 तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. राज्य परियोजना निदेशक, उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद, निशातगंज, लखनऊ।
2. शिक्षा निदेशक, माध्यमिक, उ0प्र0 लखनऊ।
3. सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 इलाहाबाद।
4. वित्त नियंत्रक, बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 इलाहाबाद।
5. समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ.प्र.।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-11
7. वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1 तथा 2 (तीन-तीन प्रतियों में)
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

([illegible] सिंह)
अनु सचिव।

शासनादेश संख्या–684/79–5–2009–60/08, दिनांक 24 फरवरी, 2009 का संलग्नक

क्रम संख्या	अध्यापक	वर्तमान वेतनमान/ग्रेड	संशोधित वेतनमान/ग्रेड	सादृश्य वेतन बैण्ड तथा ग्रेड वेतन	
				वेतन बैण्ड	ग्रेड वेतन
1	2	3	4	5	6
1	**बेसिक शिक्षा** प्राथमिक शिक्षक (क) साधारण वेतनमान	4500–7000	ग्रेड–III 6500–10500	वेतन बैण्ड–2 9300–34800	4200
	(ख) चयन वेतनमान	5000–8000	ग्रेड–II 7400–11000	वेतन बैण्ड–2 [illegible]	[illegible]
	(ग) प्रोन्नत वेतनमान	5500–9000	ग्रेड–II 7500–12000	वेतन बैण्ड–2 9300–34800	4800
2	प्रधानाध्यापक प्राइमरी/अध्यापक उच्च प्राथमिक (क) साधारण वेतनमान	5500–9000	ग्रेड–III 7450–11500	वेतन बैण्ड–2 9300–34800	4600
	(ख) चयन वेतनमान	6500–10500	ग्रेड–II 7500–12000	वेतन बैण्ड–2 9300–34800	4800
	(ग) प्रोन्नत वेतनमान	7500–12000	ग्रेड–II 8000–13500	वेतन बैण्ड–2 9300–34800	5400
3	**प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक** (क) साधारण वेतनमान	6500–10500	ग्रेड–III 7500–12000	वेतन बैण्ड–2 9300–34800	4800
	(ख) चयन वेतनमान	7500–12000	ग्रेड–II 8000–13500	वेतन बैण्ड–3 15600–39100	5400
	(ग) प्रोन्नत वेतनमान	8000–13500	ग्रेड–I 10000–15200	वेतन बैण्ड–3 15600–39100	6600

(इन्द्रराज सिंह)
अनुसचिव।